

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-31 के तहत बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (नेवा) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में बजट उपबंधित राशि ₹2,95,84,000/- (दो करोड़ पंचानवे लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र के विरुद्ध ₹1,97,15,000/- (एक करोड़ संतानवे लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) एवं राज्यांश मद में बजट उपबंधित राशि ₹1,31,43,000/- (एक करोड़ एकतीस लाख तैतालीस हजार रुपये) मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

विधान मंडल कार्य प्रणाली को डिजिटल किये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पोर्टल तैयार किया गया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (नेवा) का बिहार विधान परिषद सचिवालय में क्रियान्वयन किया जाना है।

2. यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इसके अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3. नेवा परियोजना के केन्द्रांश मद के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल ₹2,95,84,000/- (दो करोड़ पंचानवे लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र का योजना उद्व्यय है एवं समतुल्य राशि का ही बजट उपबंध किया गया है। वित्त विभाग के पत्रांक-345/वि0 दिनांक 25.03.2021 एवं 823 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में बजट प्रावधानित राशि का व्यय नियमानुसार करने हेतु निदेशित किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.1/04/2021- A & P दिनांक 24.01.2022 द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किस्त (40%) में केन्द्रांश की आबंटित कुल राशि ₹1,97,15,172/- के विरुद्ध हजार के गुणक में विमुक्त की गयी कुल राशि ₹1,97,15,000/- (एक करोड़ संतानवे लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र को केन्द्रांश मद में आबंटित किया जाना है तथा राज्यांश मद में द्वितीय किस्त की कुल आबंटित राशि ₹1,31,43,000/- का आबंटन किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में नेवा के अन्तर्गत केन्द्रांश के कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाएँ एवं मशीन एवं उपस्कर मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत् राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

केन्द्रांश

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश
(1.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 102 (विधान परिषद) उप शीर्ष 0201-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011-02-102-0201 विस्तृत शीर्ष 13-कार्यालय व्यय विषय शीर्ष-01 कार्यालय व्यय	₹32,64,000/-

(2.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 102 (विधान परिषद) उप शीर्ष 0201-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011-02-102-0201 विस्तृत शीर्ष 28-व्यवसायिक सेवाएँ विषय शीर्ष-02 संविदा सेवाएँ	₹74,40,000/-
(3.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 102 (विधान परिषद) उप शीर्ष 0201-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011-02-102-0201 विस्तृत शीर्ष 52-मशीने एवं उपस्कर विषय शीर्ष-01 मशीने एवं उपस्कर	₹90,11,000/-
कुल :-		₹1,97,15,000/-

6. उक्त के आलोक में नेवा के अन्तर्गत राज्यांश के कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाएँ एवं मशीने एवं उपस्कर मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत् राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

राज्यांश

क्र०सं०	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	राज्यांश
(1.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 102 (विधान परिषद) उप शीर्ष 0301-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011-02-102-0301 विस्तृत शीर्ष 13-कार्यालय व्यय विषय शीर्ष-01 कार्यालय व्यय	₹21,77,000/-
(2.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 102 (विधान परिषद) उप शीर्ष 0301-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011-02-102-0301 विस्तृत शीर्ष 28-व्यवसायिक सेवाएँ विषय शीर्ष-02 संविदा सेवाएँ	₹49,59,000/-
(3.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 102 (विधान परिषद) उप शीर्ष 0301-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011-02-102-0301 विस्तृत शीर्ष 52-मशीने एवं उपस्कर विषय शीर्ष-01 मशीने एवं उपस्कर	₹60,07,000/-
कुल :-		₹1,31,43,000/-

7. नेवा के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में कुल स्वीकृत राशि ₹1,97,15,000/- (एक करोड़ संतानवे लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र तथा राज्यांश मद में कुल स्वीकृत राशि ₹1,31,43,000/- (एक करोड़ एकतीस लाख तैंतालीस हजार रुपये) मात्र की निकासी विभागीय मांग संख्या-31 के अन्तर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-02 में अंकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी।

8. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत नेवा के क्रियान्वयन पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के

आलोक में बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है।

9. सचिव/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना इस परियोजना हेतु नियंत्री पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3327 दिनांक 31.03.2019 के आलोक में अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना (DDO CODE - LEG001) द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना में किया जायेगा तथा उपयोगिता/व्यय प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली; वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को नियमानुसार उपलब्ध करायेगे।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राशि व्यय की जायेगी।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-06/2020-...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-06/2020-...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-06/2020-125/ पटना, दिनांक-10.2.22

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/लेखा-शाखा, बिहार विधान परिषद्/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद्, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/बजट शाखा (प्रशाखा-02), संसदीय कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।